न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरा नं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.–074423258

GCMS NO.-2022/389
मिसल नम्बर–88 / 2022

1.रामप्रसाद आत्मज स्व0 श्री प्रहलाद
2.आशोक कुमार आत्मज स्व प्रहलाद जाति कुम्हार निवासीगण ग्राम रंगतालाब उर्फ कालातालाब तहसील लाडपुरा जिला कोटा
3.इन्द्राबाई बेवा प्रहलाद जाति कुम्हार निवासी रंगतालाब उर्फि काला तालाब तहसील लाडपुरा जिला कोटा

वादीगण

बनाम

1.दिनेश आत्मज घनश्याम जाति धाकड
2.राजेश आत्मज घनश्याम जाति धाकड निवासीगण ग्राम रंगतालाब उर्फ कालातालाब तहसील लाडपुरा जिला कोटा
3.स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा
4.नगर विकास न्यास कोटा जरिये सचिव

प्रतिवादीगण।

प्रार्थना–पत्र
(राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् प्रस्तुत वाद में प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी बाबत्)
–:निर्णय:–

दिंनाक: 31 / 01 / 2025

उपस्थित अधिवक्तागण:–
1.श्री उत्तमचंद खण्डेलवाल अधिवक्ता वादीगण।
2.श्री अनुराग गुप्ता, अधिवक्ता प्रतिवादी क्रम 2।

वादीगण की ओर से दिनांक 18.07.2022 को न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 एवं धारा 183 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट इन तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया कि ग्राम रंगतालाब उर्फ कालातालाब पटवार हल्का डडवाडा, तहसील लाडपुरा जिला कोटा में वर्तमान खसरा नम्बर 406 रकबा 3.01 है0 तथा खसरा नम्बर 413 रकबा 4.28 है0 कुल किता 02 रकबा 7.29 है0 भूमि वादीगण के पिता स्व0 श्री प्रहलाद के खाते में दर्ज रिकॉर्ड थी, तथा प्रहलाद के स्वर्गवास के पश्चात् उक्त भूमि वादीगण तथा वादीगण की माता की माता इन्द्रा बाई के खाते में दर्ज की गई। उक्त भूमि वादीगण के दर्ज रिकॉर्ड होने के पश्चात् सभी ने

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा (Rajasthan)

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

सहमति से भूमि का विभाजन करवा लिया तथा तहसीलदार लाडपुरा द्वारा भूमि का विभाजन करने के आदेश प्रदान करते हुए नामान्तरण संख्या 751 दिनांक 05.11.2012 तस्दीक किया गया, जिसके अनुसार वादी रामप्रसाद के हिस्से में खसरा नम्बर 408 (पश्चिम) की ओर रकबा 1.50 है0 तथा खसरा नम्बर 413 की पश्चिम दिशा रकबा 1.70 है0 कुल 02 किता रकबा 3.20 है तथा वादी अशोक कुमार के हिस्से में खसरा नम्बर 408 की पूर्व की ओर रकबा 1.51 है0 तथा खसरा नम्बर 413 की पूर्व की ओर रकबा 1.69 है0 कुल 02 किता रकबा 3.20 है0 तथा वादीगण की माता इन्द्राबाई के हिस्से में खसरा नम्बर 413 की दक्षिण की ओर रकबा 0.29 है0 भूमि दी जाकर दर्ज रिकॉर्ड की गई। उपरोक्त भूमि पूर्व में देवबाई पत्नी स्व0 श्री रामकिशन के खाते की भूमि थी, जिसके पुराने खसरा नम्बर 670/77 रकबा 19 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 740/77 रकबा 26 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 820/76 रकबा 08 बिस्वा कुल 46 बीघा 17 बिस्वा भूमि थी, उक्त भूमि देव उर्फ देवा बाई ने दिनांक 03.07.1961 को जरिये पंजीकृत दान पत्र द्वारा वादीगण के पिता प्रहलाद को दान कर दर्ज रिकॉर्ड कराई गई, तथा संवत् 2016 में हुए सेटलमेन्ट के बाद उक्त भूमि के नम्बर बदल कर खसरा नम्बर 282 रकबा 19 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 283 रकबा 27 बीघा 17 बिस्वा, कुल किता 02 रकबा 46 बीघा 17 बिस्वा तथा संवत् 2038 में हुए सेटलमेन्ट के बाद खसरा नम्बर 282 रकबा 19 बीघा 02 बिस्वा का नया खसरा नम्बर 408 रकबा 3.01 है0 तथा खसरा नम्बर 283 रकबा 27 बीघा 17 बिस्वा का नया खसरा नम्बर 413 की रकबा 4.28 है0 बनाया गया। वादीगण का वाद में यह भी कथन है कि संवत् 2016 व 2038 में हुए सेटलमेंट के पश्चात् पुराने नम्बर 670/77 बाद नम्बर 282 का रकबा 19 बीघा 14 बिस्वा था जिसका मेट्रीक प्रणाली अनुसार 3.19 है0 बनता है जबकि सेटलमेंट में रकबा 3.01 है0 दर्ज किया गया, इसी प्रकार खसरा नम्बर 283 रकबा 27 बीघा 17 बिस्वा था जिसका मेट्रीक प्रणाली के अनुसार 4.46 है0 बनता है जबकि सेटलमेंट द्वारा 4.28 है0 बनाया गया इस प्रकार सेटलमेंट द्वारा नक्शा ट्रेस व जमाबंदी अनुसार 02 बीघा अर्थात 0.32 है0 भूमि कम कर प्रतिवादी क्रमांक 01 व 02 की खसरा नम्बर 409 में मिला दी गई है। प्रतिवादीगण द्वारा खसरा नम्बर 409 रकबा 3.95 है0 पर संतोष नगर ब्लॉक डी नाम से आबादी काटी जा रही है। अतः प्रार्थीगण द्वारा अनुरोध किया गया कि ग्राम रंगतालाब उर्फ कालातालाब स्थित खसरा नम्बर 408 की भूमि का रकबा 3.01 है0 के स्थान पर 3.19 है0 व खसरा नम्बर 413 का रकबा 4.28 है0 के स्थान पर 4.46 है0 दर्ज किया जावें।

प्रकरण दर्ज कर प्रतिवादीगण को तलब किया गया । प्रतिवादी क्रमांक 02 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 एवं धारा 151 सीपीसी बाबत् नामंजूर किये जाने वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वादीगण द्वारा 02 सेटलमेंट में हुयी त्रुटि जो संवत् 2016 व 2038 में होना वाद पत्र में अंकित किया है, को दुरस्त कराने हेतु वाद प्रस्तुत किया है जो सर्वदा गलत एवं त्रुटिपूर्ण है वाद को अवधि मध्य लाने के लिए तथ्यों को तोड मरोड कर वर्णित किया गया है। प्रतिवादी द्वारा निवेदन किया गया है कि वर्तमान सेटलमेंट के पूर्व प्रतिवादीगण नम्बर 01 व 02 के पूर्वजों के खाते ग्राम रंगतालाब उर्फ कालातालाब में साबिक खसरा नम्बर 286 रकबा 04 बीघा 12 बिस्वा व साबिक खसरा नम्बर 287 रकबा 22 बीघा 05 बिस्वा कुल किता 02 रकबा 26 बीघा 17 बिस्वा भूमि दर्ज रिकॉर्ड की मेट्रीक प्रणाली के अनुसार इसका 4.259 है0 बनता है, इसके स्थान पर हाल खसरा नम्बर 409 की 3.95 है0 भूमि दर्ज की गई है जो 24 बीघा 14 बिस्वा के बराबर होती है।इस प्रकार प्रतिवादीगण के पूर्वजों एवं प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

के खाते में लगभग 0.32 है0 भूमि कम दर्ज की गई है। अतः उपरोक्त आधारों पर वादीगण का वाद नामंजूर किया जावें।

वादीगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दुर्भाग्यपूर्ण उद्देश्य से केवल मात्र वाद की कार्यवाही को लम्बा करने तथा वादीगण न्यायालय से कोई तत्काल सहायता प्राप्त नही कर सके इस गलत नियत से प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें।

हमने उभय पक्षकारों के अभिभाषक की बहस सुनी।

यह कि अभिभाषक प्रार्थी द्वारा कथन किया गया कि वाद घोषणा व दुरस्ती का है, जो राजस्व न्यायालय में ही चलेगा। वाद बगुलता को रोकने हेतु शुद्वि व घोषणा को एक साथ प्रस्तुत किया गया है। जमाबंदी में रिकॉर्ड में परिवर्तन होगा तो ही नक्शे में दुस्स्ती होगी इसीलिए नक्शे की दुरूस्ती को सही करवाने के लिए पृथक से धाराऐं जोडने की आवश्यकता नही है। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा न्यायिक दृष्टान्त 2022 (1) आर0आर0टी0 265 प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रतिवादी क्रम 01 द्वारा कथन किया गया कि नक्शे में त्रुटि का संशोधन एल आर एक्ट की धारा 111 से 131 में उल्लेखित है। वादी को अपना आवेदन एल आर एक्ट की धारा 111 व 128 के तहत प्रस्तुत करना चाहिए था, धारा 88 काश्तकारी अधिनियम में नक्शे की भुजाऐं संशोधित नही हो सकती। अतः वाद खारिज किया जावें। अभिभाषक प्रतिवादी द्वारा निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये।

1. 2015 डीएनजे 235
2. 2017 (1) डीएनजे 1

अभिभाषक प्रतिवादी क्रम 02 द्वारा कथन किया गया कि प्रथम सेटलमेंट की त्रुटि को द्वितीय सेटलमेंट के बाद शुद्व करवाने हेतु वाद प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादीगण के स्वयं के खाते में 0.32 है0 भूमि कम दर्ज हुयी है तथा वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र में कोई भी तथ्य या नक्शा इस बाबत् प्रस्तुत नही किया गया है जिससे यह प्रमाणित हो कि वादीगण के रकबे में हुयी कमी की बढोतरी प्रतिवादीगण की भूमि में की गई हो। प्रतिवादीगण के खाते में खसरा नम्बर 409 रकबा 3.95 है0 भूमि दर्ज है। मिलान क्षेत्रफल अनुसार खसरा नम्बर 409 गत खसरा नम्बर 286 व 287 की कुल 26 बीघा 17 बिस्वा भूमि से बना है। जिसका मेट्रीक प्रणाली में क्षेत्रफल 4.26 है0 बनता है। प्रतिवादीगण के खाते में रकबा कम होना प्रमाणित है, तथा वादीगण, प्रतिवादीगण के विरूद्व कोई भी तथ्य या साक्ष्य प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे है। जिससे स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण के विरूद्व कोई वाद कारण उत्पन्न नही होता है। अतः वाद कारण उत्पन्न नही होने के कारण प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद पत्र इसी स्तर खारिज फरमाया जावें।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का अद्योपान्त अध्ययन किया व बहस वकुलाय फरिकेन पर गंभीरतापूर्वक मनन किया। आदेश 07 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संख्या मूलतः इस प्रकार है :–

1. वाद हेतुक प्रकट नही करने पर
2. अनुतोष का मूल्यांकन कम करने
3. अपर्याप्त स्टाम्प पर वाद पत्र लिखा गया हो
4. वाद किसी विधि द्वारा वर्जित हो

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

5. वाद पत्र डुप्लिकेट में प्रस्तुत नही करना तथा

6. नियम 09 की अनुपालना नही करने की स्थिति में आदेश 07 नियम 11 जाप्ता दीवानी के तहत वाद पत्र को खारिज किया जा सकता है।

आदेश 07 नियम 11 के उक्त दिशा निर्देशों के क्रम में प्रकरण की जांच की गई। प्रार्थीगण का कथन है कि उनका 0.32 है0 रकबा कम कर खसरा नम्बर 409 में प्रतिवादीगण के खाते बढा दिया गया है। वही अप्रार्थीगण का कथन है कि खसरा नम्बर 409 साबिक खसरा नम्बर 286 व 287 से मिलकर बना है तथा खसरा नम्बर 409 का रकबा भी भू प्रंबध विभाग द्वारा दौराने सेटलमेंट 0.32 है0 कम किया गया है। पत्रावली में संलग्न जमाबंदी संवत् 2038 से 2057 से प्रमाणित है कि हाल खसरा नम्बर 409 साबिक खसरा नम्बर 286 व 287 से मिलकर बना है। जमाबंदी संवत् 2026 से 2029 से स्पष्ट है कि गत खसरा नम्बर 287 देव्या पुत्र ओकार जाति धाकड के नाम दर्ज था। नक्शा संवत् 2013 से 2014 तथा संवत् 2038 से 2057 का प्रथम दृष्टतया मिलान करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि हाल खसरा नम्बर 409 में साबिक खसरा नम्बर 286 व 287 सम्मिलित है। वादीगण द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र में इस तथ्य बाबत् कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत नही किया गया है। स्पष्टतया वादीगण का रकबा कहां कम हुआ तथा रकबा किस खसरा नम्बर में बढाया गया बाबत् कोई भी तथ्य प्रस्तुत करने में असफल रहे है। जबकि प्रतिवादीगण द्वारा यह तथ्य प्रमाणित किया गया है कि दौराने सेटलमेंट उनके रकबे में भी कमी हुयी है तथा वादीगण का रकबा उनके रकबे में नही बढाया गया है। यह स्थापित तथ्य है कि आदेश 07 नियम 11 के प्रार्थना पत्र की स्थिति में वादीगण के वाद के अर्वमेंट को ही देखा जाना चाहिए, लेकिन हस्तगत प्रकरण में हमारे विनम्र मत में वादीगण इस बाबत् स्पष्ट साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहे है कि प्रतिवादीगण के विरूद्व उनका कोई वाद कारण उत्पन्न होता हो। अतः आदेश 07 नियम 11 के बिन्दु संख्या 01 के अनुसार वाद कारण उत्पन्न नही होने के कारण हम प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाते है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रतिवादीगण के विरूद्व कोई भी वाद कारण उत्पन्न नही होने के कारण प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी स्वीकार किया जाकर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 एवं 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा